



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 आश्विन 1932 (श०)

(सं० पटना 692) पटना, सोमवार, 4 अक्टूबर 2010

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

4 अक्टूबर 2010

सं० बी०३-६८/२०१०-२६—बिहार विधान-सभा आम निर्वाचन, 2010 के अवसर पर ३—नरकटियागंज, ४—बगहा, ५—लौरिया, ६—नौतन, ७—चनपटिया, ८—बेतिया, ९—सिकटा, १०—रक्सौल, ११—सुगौली, १३—हरसिंह (अ.जा.), १४—गोविन्दगंज, १५—केसरिया, १६—कल्याणपुर, १९—मोतिहारी, ९९—वैकुण्ठपुर, १००—बरौली, १०१—गोपालगंज, १०२—कुचायकोट, १०३—भोरे (अ.जा.), १०४—हथुआ, १०५—सिगान, १०६—जीरादेई, १०७—दरौली (अ.जा.), १०८—रघुनाथपुर, १०९—दरौंदा, ११०—बड़हरिया, १११—गोरेयाकोठी, ११२—महाराजगंज, ११३—एकमा, ११४—माझी, ११५—बनियापुर, ११६—तरैया, ११७—मढ़ौरा, ११८—छपरा, ११९—गरखा (अ.जा.), १२०—अमनौर, १२१—परसा, १२२—सोनपुर, १२३—हाजीपुर, १२४—लालगंज, १२५—वैशाली, १२६—महुआ, १२७—राजापाकार (अ.जा.), १२९—महनार, १—वाल्मीकीनगर, २—रामनगर (अ.जा.), १२८—राघोपुर एवं १३०—पातेपुर (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन से संबंधित विभागीय अधिसूचना संख्या—बी०३-६८/२०१०-२५ दिनांक ४ अक्टूबर 2010 एवं भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या—४६४/बिहार-वि.स./२०१० दिनांक ४ अक्टूबर 2010 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
आर० के० प्रसाद,
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार
—सह—सरकार के उप सचिव।

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

4 अक्टूबर 2010

सं0—बी1—3—68 / 2010—25—यतः भारत के संविधान के अनुच्छेद—172 के खण्ड 1 के उपबन्धों के अनुसार बिहार राज्य की विधान—सभा, यदि पहले हीं विघटित नहीं कर दी जाती है तो, 27 नवम्बर, 2010 को सम्मिलित करते हुए इस तारीख तक बनी रहेगी और उसके पश्चात् उसकी अवधि के अवसान पर विघटित मानी जाएगी; और

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा—15 की उप—धारा (1) के निबंधनों के अनुसार बिहार राज्य की नई विधान—सभा के गठन के प्रयोजन के लिए साधारण निर्वाचन कराया जाना है;

अतः अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा—15 की उप—धारा (2) के अनुसरण में, जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग ने सिफारिश की है, बिहार राज्य के राज्यपाल एतदद्वारा नीचे की सारणी में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विधान—सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करते हैं कि वे उक्त अधिनियम और तद्वीन बनाये गये नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार बिहार राज्य की विधान—सभा के लिए सदस्य निर्वाचित कर दें:

सारणी

विधान—सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम
3—नरकटियागंज
4—बगहा
5—लौरिया
6—नौतन
7—चनपटिया
8—बेतिया
9—सिकटा
10—रक्सौल
11—सुगौली
13—हरसिंह (अ.जा.)
14—गोविन्दगंज
15—केसरिया
16—कल्याणपुर
19—मोतिहारी
99—बैकुण्ठपुर
100—बरौली
101—गोपालगंज
102—कुचायकोट
103—भोरे (अ.जा.)
104—हथुआ
105—सिवान
106—जीरादई
107—दरौली (अ.जा.)
108—रघुनाथपुर

विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम
109—दरौंदा
110—बड़हरिया
111—गोरेयाकोठी
112—महाराजगंज
113—एकमा
114—मांझी
115—बनियापुर
116—तरैया
117—मढ़ौरा
118—छपरा
119—गरखा (अ.जा.)
120—अमनौर
121—परसा
122—सोनपुर
123—हाजीपुर
124—लालगंज
125—वैशाली
126—महुआ
127—राजापाकार (अ.जा.)
129—महनार
1—वालिमकीनगर
2—रामनगर (अ.जा.)
128—राधोपुर
130—पातेपुर (अ.जा.)

राज्यपाल के आदेश से व उनके नाम से,
 (ह०) अस्पष्ट,
 बिहार सरकार के मुख्य सचिव।

The 4th October 2010

No.-B1-3-68/2010-25—WHEREAS, in accordance with the provisions of clause (1) of Article 172 of the Constitution of India, the existing Legislative Assembly of the State of Bihar, unless sooner dissolved, shall continue up to and including the 27th November, 2010 and shall, thereafter, stand dissolved on the expiration of its duration; and

WHEREAS, in terms of sub-section (1) of Section 15 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), a General Election has to be held for the purpose of constituting a new Legislative Assembly of the State of Bihar ;

NOW, THEREFORE, as recommended by the Election Commission of India, in pursuance of sub-section (2) of Section 15 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Governor of the State of Bihar is hereby pleased to call upon each of the Assembly Constituencies of the State of Bihar specified in the Table below to elect members to the Legislative Assembly of the State, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder:

TABLE

Number and name of the Assembly Constituency
3-Narkatiaganj
4-Bagaha
5-Lauriya
6-Nautan
7-Chanpatia
8-Bettiah
9-Sikta
10-Raxaul
11-Sugauli
13-Harsidhi (S.C.)
14-Govindganj
15-Kesaria
16-Kalyanpur
19-Motihari
99-Baikunthpur
100-Barauli
101-Gopalganj
102-Kuchaikote
103-Bhorey (S.C.)
104-Hathua
105-Siwan
106-Ziradei
107-Darauli (S.C.)

Number and name of the Assembly Constituency
108-Raghunathpur
109-Daraundha
110-Barharia
111-Goriakothi
112-Maharajganj
113-Ekma
114-Manjhi
115-Baniapur
116-Taraiya
117-Marhaura
118-Chapra
119-Garkha (S.C.)
120-Amnour
121-Parsa
122-Sonepur
123-Hajipur
124-Lalganj
125-Vaishali
126-Mahua
127-Raja Pakar (S.C.)
129-Mahnar
1-Valmikinagar
2-Ramnagar(SC)
128-Raghopur
130-Patepur(SC)

BY ORDER AND IN THE NAME OF GOVERNOR
 Sd/-Illegible,
 CHIEF SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF BIHAR

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 दिनांक 4 अक्टूबर, 2010 / 12 आश्विन, 1932 (शक)

सं0 464 / बिहार-वि.स./ 2010:- यतः, बिहार राज्य के राज्यपाल ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा-15 की उप-धारा (2) के अधीन जारी की गई, दिनांक 4 अक्टूबर, 2010 को राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में यथा विनिर्दिष्ट बिहार राज्य के प्रत्येक विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्रों से यह अपेक्षा करता है कि वे उक्त अधिनियम और तद्दीन बनाये गये नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राज्य की विधान-सभा के गठन के प्रयोजन के लिए सदस्य निर्वाचित कर दें;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा-30 तथा 56 के उपबन्धों के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा:-

(अ) उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्रों से उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में :

- | | | |
|--|---|--------------------------------|
| (क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख | : | 11 अक्टूबर, 2010 (सौमवार) |
| (ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा तारीख | : | 12 अक्टूबर, 2010 (मंगलवार) |
| (ग) अभ्यर्थिताएं वापिस लेने की अन्तिम तारीख | : | 14 अक्टूबर, 2010 (वृहस्पतिवार) |
| (घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा | : | 28 अक्टूबर, 2010 (वृहस्पतिवार) |
| (ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा | : | 26 नवम्बर, 2010 (शुक्रवार) |
- नियत करता है, और

(आ) नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में दिखाए गए समय को ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को स्तम्भ (1) में दिखाए गए तत्त्वानी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा:-

सारणी

विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम	मतदान का समय
1	2
3—नरकटियांगंज	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
4—बगहा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
5—लौरिया	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
6—नौतन	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
7—चनपटिया	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
8—बेतिया	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
9—सिकटा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
10—रक्सौल	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
11—सुगौली	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
13—हरसिद्धि (अ.जा.)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
14—गोविन्दगंज	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
15—केसरिया	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
16—कल्याणपुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
19—मोतिहारी	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
99—बैकुण्ठपुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
100—बरौली	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
101—गोपालगंज	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
102—कुचायकोट	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
103—भोरे (अ.जा.)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक

विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम	मतदान का समय
1	2
104—हथुआ	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
105—सिवान	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
106—जीरादई	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
107—दरौली (अ.जा.)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
108—रघुनाथपुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
109—दरौंदा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
110—बड़हरिया	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
111—गोरेयाकोठी	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
112—महाराजगंज	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
113—एकमा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
114—मांझी	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
115—बनियापुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
116—तरैया	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
117—मढ़ौरा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
118—छपरा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
119—गरखा (अ.जा.)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
120—अमनौर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
121—परसा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
122—सोनपुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
123—हाजीपुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
124—लालगंज	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
125—वैशाली	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
126—महुआ	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
127—राजापाकार (अ.जा.)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
128—राधोपुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
129—महनार	प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
130—पातेपुर (अ.जा.)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक
1—वाल्मीकीनगर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक
2—रामनगर (अ.जा.)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक

आदेश से,
केंद्रीय कुमार,
सचिव
भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi- 110001, dated: 4th October, 2010/12 Ashvina, 1932(Saka)

NO. 464/BR-LA/2010:- WHEREAS, the Governor of the State of Bihar has, by notification issued under sub-section (2) of section 15 of the Representation of the People Act, 1951(43 of 1951), published in the official Gazette of the State on the 4th October, 2010, been pleased to call upon each of the Assembly Constituencies in the State of Bihar, as specified in column (1) of the Table below, to elect members of the Legislative Assembly of the State, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made there under ;

NOW, THEREFORE, in pursuance of Sections 30 and 56 of the said Act, the Election Commission of India hereby-

(A) Appoints, with respect to the said election from each of the Assembly Constituencies specified in the said Table :-

- (a) the 11th October, 2010 (Monday) , as the last date for making nominations;
- (b) the 12th October, 2010 (Tuesday) , as the date for scrutiny of nominations;
- (c) the 14th October, 2010 (Thursday), as the last date for withdrawal of candidatures;
- (d) the 28th October, 2010 (Thursday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) the 26th November, 2010 (Friday), as the date before which the election shall be completed; and

(B) fixes the hours, as shown in column (2) of the Table below, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, in the corresponding constituency shown in column (1) of the said TABLE :

TABLE

Number and name of the Assembly Constituency	Hours of Poll
1	2
3-Narkatiaganj	7.00 AM to 5.00 PM
4-Bagaha	7.00 AM to 5.00 PM
5-Lauriya	7.00 AM to 5.00 PM
6-Nautan	7.00 AM to 5.00 PM
7-Chanpatia	7.00 AM to 5.00 PM
8-Bettiah	7.00 AM to 5.00 PM
9-Sikta	7.00 AM to 5.00 PM
10-Raxaul	7.00 AM to 5.00 PM
11-Sugauli	7.00 AM to 5.00 PM
13-Harsidhi (S.C.)	7.00 AM to 5.00 PM
14-Govindganj	7.00 AM to 5.00 PM
15-Kesaria	7.00 AM to 5.00 PM
16-Kalyanpur	7.00 AM to 5.00 PM
19-Motihari	7.00 AM to 5.00 PM
99-Baikunthpur	7.00 AM to 5.00 PM
100-Barauli	7.00 AM to 5.00 PM
101-Gopalganj	7.00 AM to 5.00 PM
102-Kuchaikote	7.00 AM to 5.00 PM
103-Bhorey (S.C.)	7.00 AM to 5.00 PM
104-Hathua	7.00 AM to 5.00 PM
105-Siwan	7.00 AM to 5.00 PM
106-Ziradei	7.00 AM to 5.00 PM
107-Darauli (S.C.)	7.00 AM to 5.00 PM

Number and name of the Assembly Constituency	Hours of Poll
1	2
108-Raghunathpur	7.00 AM to 5.00 PM
109-Daraundha	7.00 AM to 5.00 PM
110-Barharia	7.00 AM to 5.00 PM
111-Goriakothi	7.00 AM to 5.00 PM
112-Maharajganj	7.00 AM to 5.00 PM
113-Ekma	7.00 AM to 5.00 PM
114-Manjhi	7.00 AM to 5.00 PM
115-Baniapur	7.00 AM to 5.00 PM
116-Taraiya	7.00 AM to 5.00 PM
117-Marhaura	7.00 AM to 5.00 PM
118-Chapra	7.00 AM to 5.00 PM
119-Garkha(S.C.)	7.00 AM to 5.00 PM
120-Amnour	7.00 AM to 5.00 PM
121-Parsa	7.00 AM to 5.00 PM
122-Sonepur	7.00 AM to 5.00 PM
123-Hajipur	7.00 AM to 5.00 PM
124-Lalganj	7.00 AM to 5.00 PM
125-Vaishali	7.00 AM to 5.00 PM
126-Mahua	7.00 AM to 5.00 PM
127-Raja Pakar(S.C.)	7.00 AM to 5.00 PM
128-Raghopur	7.00 AM to 5.00 PM
129-Mahnar	7.00 AM to 5.00 PM
130-Patepur(S.C.)	7.00 AM to 3.00 PM
1-Valmikinagar	7.00 AM to 3.00 PM
2-Ramnagar(S.C.)	7.00 AM to 3.00 PM

By Order,
K. AJAY KUMAR,
Secretary
 Election Commission of India.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
 बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
 बिहार गजट (असाधारण) 692-571+300-३०३०३०३०।
 Website: <http://egazette.bih.nic.in>